

FORM NO. III

फर्दअहकाम



(नियम- 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

| | | |
|---|---------------|---|
| वादी/वादीगण मोगी देवी पत्नी दुर्गाराम जाति राईका निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा | बनाम मूठली | प्रतिवादी/प्रतिवादीगण 1 नवाराम पुत्र हमीराराम जाति राईका निवासी मूठली तहसील सिवाना जिला बालोतरा वगैरह (4) 5 राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना |
|---|---------------|---|

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:- 57 / 2026

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 02.04.2026 | वादीनी मोगीदेवी की ओर से वकील श्री गौतमसिंह राजपुरोहित ने यह वाद पत्र प्रतिवादी नवाराम वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 18.06.2026 को पेश हो।  (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना | |
| 08.04.2026 | वादीनी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादीनी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादागत आराजी को लेकर उद्यम पक्ष के प्रथम लोड अगलत की आपना से राजीनामा ले लिया है, अतः वाद पत्र विद्दो खारिज करवाये। हमने वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, वादीनी वकील के निवेदन पर वाद पत्र नया पेश करने का एक सुझाव दिया है। वादीनी का वाद पत्र जरिचे विद्दो खारिज किया जा रहा है। पत्रावली जैसल शुमार बेस्र दाखिल दफ्तर है।  सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना | |

